दिनांक 1 जून 2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

हर वार्ड के 200 नागरिकों के फीडबैक के आधार पर होगा भुगतानए परंतु इस भुगतान राशि से किसी भी सफाई कामगार के पारिश्रमिक भुगतान नहीं होंगे प्रभावित

नगर पालिक निगम भिलाई के रिसाली क्षेत्र में आज से सफाई की शुरुआत कार्य आधारित पद्धति के माध्यम से होगी इसी तरह निगम के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाएगा! पिछले वर्ष नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सफाई ठेका के लिए निविदाध्ऑफर आमंत्रित की गई थी परंतु निविदाध्ऑफर में कई सारे व्यवधान आने के कारण जैसे एकल टेंडर प्राप्त होनाए एक भी टेंडर प्राप्त नहीं होना आदि के कारण ठेका नहीं हो पाया थाए सफाई कार्य प्रभावित न हो जिसके लिए शासन से अनुमति लेकर सीधे श्रमिकों को भुगतान किया जाता रहा है परंतु अनुमति इस शर्त पर प्राप्त हुई थी कि जल्द से जल्द ठेका पद्धति की प्रक्रिया किया जाए और ठेका पद्धति से काम कराया जाए! जिस पर ठेका पद्धति से सफाई कराने हेतु आज से जिम्मा दे दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है तत्पश्चात ही ठेकेदार को भुगतान किया जा सकेगा साथ ही बहुत से ऐसे राशि कटौती के प्रावधान हैं जो ठेकेदार पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई है! जैसे स्वास्थ्य कर्मचारियों का भुगतान प्रतिमाह प्रथम 10 दिवस में करते हुए दस्तावेज जमा करने पर ही निगम द्वारा एजेंसी को भुगतान किया जाएगा! वार्ड के 200 नागरिकों से फीडबैक लेने के आधार पर ही ठेकेदार का भुगतान किया जाएगा इसके लिए तीन प्रकार की पद्धति है एक नागरिकों से दूसरा स्वच्छता निरीक्षक से तीसरा सुपरवाइजर से एवं स्वास्थ्य अधिकारी से इन सभी की गणना करने के पश्चात ही ठेकेदार का भुगतान किया जाएगा जिसका गणना फार्मूला बनाया गया है! हर कार्य जैसे मृत पशु का निपटान नहीं होने एअवकाश में सफाई नहीं होनेए कचरा संग्रहण स्थलों की सफाई नहीं होनेए गंदगी फैलाने वालों को रोकने में असफल होने आदि चीजों पर ठेकेदार की राशि से ही वसूली की जाएगी जिसकी राशि निर्धारित कर दी गई है जिसका सफाई कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगाए ठेकेदार के लापरवाही करने पर लगभग 25 से 50 हजार कटौती तक का प्रावधान है!
स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि सफाई कामगार जो वर्तमान में कार्यरत है उनको काम पर रखा जाएगा ताकि उनका रोजगार का हनन ना हो साथ ही श्रम आयुक्त द्वारा समय.समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा जिससे श्रमिकोंध् कर्मचारियों के भुगतान में कोई अंतर न हो साथ ही कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं ईएसआई का लाभ देते हुए ठेकेदार द्वारा बिल के साथ प्रस्तुत किया जावेगा! ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है! अब तक सफाई कर्मियों की उपस्थिति के आधार पर भुगतान हो जाता थाएनागरिकों एवं पार्षदों की आम शिकायत थी कि कर्मचारी हाजरी भर कर गायब हो जाते हैए इसी शिकायत को दूर करने के लिए एमआईसी ने कार्य आधारित प्रणाली की स्वीकृति दी हैए इससे सफाई में आमूलचूल सुधार की संभावना हैए अब सफाई का मूल्यांकन नागरिक एवं पार्षद करेंगेए नागरिकों को पहली बार सफाई में सही भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया!

जल है तो कल है जल ही जीवन है!